[2018] 5 एस.सी.आर. 421

मीनाक्षी सक्सेना और अन्य

वरुद्ध

ईसीजीसी ल मटेड (पूर्व में निर्यात क्रे डट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इं डया ल मटेड के रूप में जाना जाता था) और अन्य

(2018 की स वल अपील संख्या 5681)

18 मई, 2018

[एन. वी. रमना और एस. अब्दुल नज़ीर, न्यायमूर्तिगण]

उपभोक्ता संरक्षण अ धनियम, 1986:

धाराएं 25 और 27- डक्री का निष्पादन- बीमाकर्ता के खलाफ डक्री जो उसे सहमति के अनुसार बीमा रा श का भुगतान करने के लए उत्तरदायी रखती है- निष्पादन या चका- या चका के लंबित रहने के दौरान, बीमाकर्ता (निर्णीत ऋणी) ने डक्री में निर्धारित रा श का भुगतान कया- बीमाकृत (डक्रीदार) ने इस आधार पर भुगतान पर ववाद कया क देय वदेशी मुद्रा के मूल्य की गणना, भुगतान की तारीख पर लागू संपरिवर्तन दर पर की जानी चाहिए थी - जिला फोरम के साथ - साथ राज्य आयोग ने अ भनिर्धारित कया क वदेशी मुद्रा संपरिवर्तन दर की गणना भुगतान की तारीख के अनुसार की जानी चाहिए- हालाँक, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने अ भनिर्धारित कया क संपरिवर्तन दर, वषय वस्तु नौप्रेक्षण की तारीख के अनुसार होनी चाहिए।

- अपील पर अ भनिर्धारित: इस तरह से डक्री की व्याख्या जो एक नए डक्री के प्रतिस्थापन के बराबर हो सकती है, व ध के तहत मान्य नहीं है- न्यायालय को अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार मुद्रा के संपरिवर्तन के लए प्रासं गक दिनांक निर्धारित करनी होगी- वर्तमान मामले में बीमा अनुबंध के अनुसार, बीमाकर्ता को वषय वस्तु नौप्रेक्षण की तारीख पर चालान की गई वदेशी मुद्रा के संपरिवर्तन दर के आधार पर बीमा दावे का भुगतान करने की आवश्यकता थी- जिला फोरम और राज्य आयोग द्वारा वचाराधीन डक्री के लए दी गई व्याख्या, अनुबंध की शर्तों के वपरीत है और एक नई डक्री तैयार करने के समान है, जिसकी अनुमति नहीं है- बीमाकर्ता द्वारा पहले से ही कया गया भुगतान अनुबंध की शर्तों के अनुसार था और इस प्रकार बीमाकर्ता ने डक्री का पालन कया है।

धाराएं 25 और 27- निष्पादन कार्यवाही- निष्पादन न्यायालय की शक्ति- वस्तार- अ भनिर्धारित: डक्री का निष्पादन करते समय निष्पादन न्यायालय डक्री से परे नहीं जा सकता है और उसे निर्णय को प्रत्यक्ष मूल्य के अनुसार देखना होता है- जब डक्री अस्पष्ट होती है, तो यह निष्पादन न्यायालय का बाध्य कर्तव्य बन जाती है क डक्री की व्याख्या करें- हालाँक, न्यायालय को व्याख्या करते समय बहुत सतर्क रहना होगा और इस तथ्य के प्रति सचेत रहना होगा क वह एक नई डक्री नहीं बना सकती है।

अपील खारिज करते हुए न्यायलय ने

अ भनिर्धारित कया: 1. निष्पादन कार्यवाही का पूरा उद्देश्य न्यायालय के फैसले को लागू करना है। निष्पादन न्यायालय डक्री को निष्पादित करते समय केवल उसके निष्पादन वाले भाग पर ध्यान देता है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। न्यायालय को फैसले को उसके प्रत्यक्ष मूल्य में लेना होता है। निष्पादन न्यायालय डक्री से परे नहीं जा सकती है। ले कन कठिनाई तब उत्पन्न होती है जब भौतिक पहलुओं के संबंध में डक्री में अस्पष्टता होती है। फर यह न्यायालय का बाध्यकारी कर्तव्य बन जाता है क वह डक्री को सही प्रभाव देने की प्र क्रया में डक्री की व्याख्या करे। उस समय, निष्पादन न्यायालय को अपनी व्याख्या देते समय बहुत सतर्क रहना होगा और इस तथ्य के प्रति सचेत रहना होगा क वह एक नई डक्री नहीं बना सकता है। निष्पादन न्यायालय डक्री को प्रभावी बनाने की प्र क्रया में इस अ धकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए दोनों के बीच एक अच्छा संतुलन बनाएगा। [पैरा 18] [429-सी-ई]

2. स्वीकार्य रूप से, निष्पादन कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, दिनांक 24.4.2002 को रा श 11,875.75 यूरो के 90% मूल्य के रूप में रा श 4,86,953 रु., और उस पर ब्याज रा श 6,33,653 रुपये न्यायालय द्वारा निर्दे शत अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा भुगतान कया गया । राज्य आयोग और जिला आयोग, दोनों ने आदेश दिनांक 12.10.2006 की व्याख्या करते हुए उल्लेख कया क यूरो संपरिवर्तन दर की गणना भुगतान की तारीख पर होनी चाहिए और इस लए प्रत्यर्थी कंपनी को बाकी रकम चुकानी होगी। हालाँ क एन.सी.डी.आर.सी ने अनुबंध के खंड 17 की व्याख्या करते समय एक अलग दृष्टिकोण लेते हुए निष्कर्ष निकाला क संपरिवर्तन दर वषय वस्तु नौप्रेक्षण की तारीख पर चालान की गई वदेशी मुद्रा के अनुसार होनी चाहिए और चूं क उसी गणना के अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा पूरी रा श का भुगतान कया गया है, एन.सी.डी.आर.सी ने पुनरीक्षण या चका खारिज कर दी है। [पैरा 20] [429-जी-एच; 430-ए-बी]

3. मुद्रा के संपरिवर्तन के लए प्रासं गक ति थ निर्धारित करने के लए, न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली पहली प्र क्रया है क अनुबंध की शर्तों के अनुसार निर्णय लें और यदि ऐसा खंड समझौते में उपलब्ध नहीं है तब अदालतों को सर्वोत्तम संभव ति थ निर्धारित करनी होगी । वर्तमान तथ्यों में, समझौते में एक व शष्ट खंड अर्थात् खंड 17 है, जो ब्याज दर से संबं धत है । उक्त खंड यह स्पष्ट करता है क करेंसी को सुसंगत नौप्रेक्षण की तारीख पर मुंबई में वनिमय की बैंक खरीद दर पर रुपये में परिवर्तित कया जाना चाहिए। जिला फोरम ने हालां क समझौते के खंड 17 के बारे में उल्लेख नहीं कया है, ले कन उसी खंड को ध्यान में रखते हुए उस दिन से ब्याज दिया है। जिला फोरम के साथ-साथ राज्य आयोग द्वारा आदेश दिनांक 12.10.2006 को दी गई व्याख्या समझौते की शर्तों के वपरीत है और एक नई डक्री तैयार करने के समान है, जिसकी अनुमति नहीं है। एन. सी. डी. आर. सी. द्वारा पारित आदेश पूरी तरह से तय कानूनी स्थिति के अनुसार है और आदेश में कोई कमजोरी नहीं है। [पैरा 27 और 28] [434-ई-एच; 435-बी]

4. डक्री की व्याख्या इस तरह से करना जो एक नई डक्री क जगह प्रतिस्थापन हो सकता है, यह व ध के अधीन स्वीकार नहीं कया जाता है । इस लए, यह स्पष्ट है क बीमा अनुबंध के अनुसार, प्रत्यर्थी बीमाकर्ता को चालान कए गए वदेशी मुद्रा की संपरिवर्तन दर पर, बैंक की खरीद ब्याज दर के अनुसार भारतीय रुपये में मुंबई में वषयवस्तु नौप्रेक्षण की तारीख, जिसके लए चालान जारी कया गया था, बीमा दावे का भुगतान करना आवश्यक था। प्रत्यर्थी ने या चकाकर्ता को निष्पादन कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान रा श रु. 11,23,906 / का भुगतान कया है। उपरोक्त भुगतान की गणना चालान मूल्य के नौप्रेक्षण के समय लागू संपरिवर्तन दर और उपभोक्ता फोरम द्वारा दिए गए ब्याज के आधार पर की गई थी । उसी को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी ने पूर्ण और अंतिम रा श का भुगतान करके फोरम के आदेश का पालन कया है । [पैरा 29] [435-सी-ई]

फोरासोल वरुद्ध ओ.एन.जी.सी., (1984) पूरक एससीसी 263 : [1984] एससीआर 526 - पर भरोसा कया ।

<u>संद र्भत निर्णय व ध</u>

[1984] एससीआर **526** भरोसा कया पैरा **22**

स वल अपीलीय क्षेत्रा धकार : 2018 की स वल अपील सं. 5681 ।

राष्ट्रीय उपभोक्ता ववाद निवारण आयोग, नई दिल्ली की 2015 की पुनरीक्षण या चका सं. 614 के निर्णय और आदेश दिनांक 20.10.2016 से ।

हिमांशु गुप्ता, अनिल कुमार तांडले, अपीला र्थयों के अ धवक्ता ।

भरत संगल, सुश्री बबीता कुशवाहा, सुश्री वदुषी गर्ग, सुश्री अनिंदिता डेका, सुश्री ईशा गुप्ता, राजेश कुमार-1, गौरव केआर. संह, अनंत गौतम, आकाश सहरावत, वी. गो वंदा रामानन, सौमू पा लत, प्रत्यर्थीगण के अ धवक्ता ।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एन. वी. रमना द्वारा सुनाया गया ।

1. अनुमति प्रदान की गई ।

2. यह मामला राष्ट्रीय उपभोक्ता ववाद निवारण आयोग [इसके बाद सं क्षप्तता के लए 'एन.सी.डी.आर.सी.' के रूप में संद र्भत कया जाता है] द्वारा 2015 की पुनरीक्षण या चका संख्या 614 में पारित ववादित आदेश दिनां कत 20.10.2016 से उत्पन्न होता है, जिसमें एन.सी.डी.आर.सी. ने पुनरीक्षण स्वीकार कया और जिला फोरम के आदेश को अपास्त कर दिया, जिसकी पुष्टि राज्य आयोग ने की थी ।

3. इस मामले के निपटारे के लए आवश्यक मामले के तथ्यों का एक सं क्षप्त संदर्भ यह है क, अपीलार्थी ने भारत से माल के निर्यात में शा मल जो खमों के कारण होने वाले कसी भी नुकसान के खलाफ प्रत्यर्थी सं. 1 से एक बीमा पॉ लसी सं. एस.सी.आर.0000093, दिनांक 27.07.2000 खरीदी थी । अनुबंध के खंड 13 के तहत, प्रत्यर्थी उपार्जित नुकसान का 90 प्रतिशत निम्न ल खत तरीके से भुगतान करने के लए सहमत हुआ थाः

खंड 13- देय हानि का प्रतिशतः नुकसान की रा श का हिस्सा, जो निगम इसके द्वारा भुगतान करने के लए सहमत है, 90% होगा।

4. यह ध्यान रखना आवश्यक होगा क पक्षकारों ने मुद्रा वनिमय की दर से संबं धत एक खंड को स्पष्ट रूप से निम्न ल खत तरीके से शा मल कया था -

> खंड 17- वनिमय दरः इस नीति के तहत सभी भुगतान निगम के मुख्य कार्यालय में भारतीय रुपये में होगा और प्री मयम और नुकसान के भुगतान के उद्देश्य से, वदेशी मुद्रा में चालान कए गए नौप्रेक्षण के सकल चालान मूल्य को सुसंगत नौप्रेक्षण की तारीख पर मुंबई स्थित बैंक की खरीद दर पर भारतीय रुपये में परिवर्तित कया जाएगा परन्तु यह प्रावधान कया गया है क जिस मुद्रा में खरीदार को भुगतान करना है, उसका अवमूल्यन दावे के भुगतान से पहले होता है, तब भारतीय मुद्रा में दावा की गई रा श अवमूल्यन दर पर आधारित होगी।

5. तथ्यों के कथन पर वापस आते हुए, अपीलार्थी ने एक चालान सं. 1, दिनां कत 01.04.2002 से मेसर्स परवीना एंटरप्राइजेज (एन.एफ.) फ्रांस को 11875.75 यूरो के मूल्य के लए लै डंग नं. पीओएनएलडीइएल 27008966 बिल दिनांक 24.04.2002 द्वारा खेप में माल भेजा था । भले ही माल के खरीदार ने डलीवरी स्वीकार कर ली, ले कन अपीलार्थी [वक्रेता] को भुगतान करने में वफल रहा। अपीलार्थी के दावे पर वचार करने के बाद, प्रत्यर्थी नं. 1 ने नुकसान के 90 प्रतिशत के बजाय नुकसान की 79.5% रा श के मुआवजे का भुगतान करने की पेशकश की।

6. उसी से व्य थत होकर, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी की ओर से सेवा में कमी का आरोप लगाते हुए प्रत्यर्थीगण के खलाफ जिला फोरम के समक्ष शकायत दर्ज कराई ।

7. जिला फोरम ने दिनांक 12.10.2006 के आदेश द्वारा शकायत स्वीकार कया और वर्तमान प्रत्यर्थी (बीमाकर्ता) को निम्नानुसार भुगतान करने का निर्देश दिया -

> हम वर्तमान शकायत को स्वीकार करते हैं और ऑप्स को निर्देश देते हैं क 11875.75 यूरो के मूल्य का 90 प्रतिशत (या चकाकर्ता द्वारा लै डंग नं. पीओएनएलडीइएल 27008966 दिनां कत 24.04.2002 से निर्यात की गई वस्तुएँ) के साथ 24.7.2002 से 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज जब तक क रुपये की वसूली नहीं हो जाती (क्यों क ऑप्स के लए दावे का निपटान करने के लए तीन महीने का समय पर्याप्त था) के साथ 3300 / - मुकदमेबाजी के खर्च के रूप में इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों की अव ध के भीतर भुगतान करे ।
>
> (बल दिया गया)

8. यहाँ तक क राज्य आयोग के समक्ष अपील और आगे एन.सी.डी.आर.सी. के समक्ष एक पुनरीक्षण पहले खारिज हुई है, इस लए, प्रत्यर्थी/बीमा कंपनी के दायित्व के संबंध में जिला फोरम द्वारा पारित आदेश अंतिम हो चुका है।

9. वद्वान जिला फोरम द्वारा पारित आदेश दिनां कत 12.10.2006 के बावजूद, जब प्रत्यर्थी सं. 1 या चकाकर्ता-शकायतकर्ता को वहां निर्धारित शर्तों के अनुसार भुगतान करने में वफल रहे, अपीलार्थी ने जिला फोरम, पानीपत के समक्ष 2013 की निष्पादन या चका संख्या 34 को प्राथ मकता दी। निष्पादन या चका के लंबित रहने के दौरान, प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी/डक्रीदारों को 11,875.75 यूरो की संपरिवर्तन दर दिनां कत 24.04.2002 पर रा श रुपये 11,23,906/- और उस पर गणना कए गए ब्याज के आधार पर भुगतान कया। अपीलार्थी/डक्रीदारों ने उक्त भुगतान को स्वीकार करते समय भुगतान के डक्री को संतुष्ट करने के सम्बन्ध में मुख्य रूप से इस आधार पर ववाद कया क देय यूरो के मूल्य की गणना भुगतान की तारीख पर लागू संपरिवर्तन दर पर की जानी चाहिए थी।

10. जिला फोरम ने इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, निम्न ल खत टिप्प णयों के साथ निष्पादन या चका को स्वीकार कया हैः

> " दोनों पक्षों के अ धवक्ता को सुनने के बाद और इस फोरम के आदेश के अवलोकन के बाद, यह स्पष्ट है क यह फोरम 11,875.75 यूरो के मूल्य का 90% भुगतान करने का आदेश पारित कर चुका है। इस प्रकार, ओ.पी. को रा श का भुगतान भारतीय मुद्रा में करना था, जो भी यूरो का मूल्य था । वशेष रूप से, जब न्यायालय यूरो के मूल्य के रूप में रा श का भुगतान करने के लए कोई आदेश पारित कर रहा है, तो ओ.पी. के लए भुगतान करते समय यूरो के मूल्य में भुगतान करने के लए बाध्य है। इस फोरम का आदेश 2006 में पारित कया गया था ले कन 2013 तक ई.सी.जी.सी. ने आदेश के पालन में शकायतकर्ता को रा श का भुगतान नहीं कया है। <u>अब इस स्तर पर यह सुस्था पत कानून है क निष्पादन करने वाली अदालत, निष्पादन के अधीन डक्री के परे नहीं जा सकती। इस फोरम के आदेश को ध्यान में रखते हुए, ई.सी.जी.सी. को रा श का भुगतान करते समय यूरो के मूल्य में भुगतान करना होगा। इस फोरम के आदेश के अनुपालन में रा श का भुगतान, उस समय के यूरो के मूल्य में कया जाना है । उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, इस फोरम द्वारा पारित आदेश के अनुसार ई.सी.जी.सी. ने निश्चित रूप से पूरी रा श का भुगतान नहीं कया है । इस लए ई.सी.जी.सी. को आगे रा श का भुगतान करने हेतु निर्दे शत कया गया है *(एस.आई.सी.)*।</u>
>
> (बल दिया गया)

11. प्रत्यर्थी/बीमा कंपनी ने क थत निष्पादन न्यायालय के आदेश के खलाफ व्य थत होकर हरियाणा राज्य कमीशन के समक्ष 2014 की पुनरीक्षण या चका संख्या 66 प्रस्तुत कया। हरियाणा राज्य आयोग ने या चका में कोई सार नहीं पाया और इसे खारिज कर दिया। पुनः एन.सी.डी.आर.सी. के समक्ष प्रत्यर्थी ने 2015 की पुनरीक्षण या चका संख्या 614 प्रस्तुत कया। दिलचस्प बात यह है क एन.सी.डी.आर.सी. ने दिनांक 24.03.2015 के आदेश द्वारा, प्रत्यर्थीगण को उपयुक्त फोरम से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ वापस ली गई पुनरीक्षण या चका को खारिज कर दिया।

12. हालाँ क, इसके बाद, प्रत्यर्थीगण ने इस न्यायालय के समक्ष एक वशेष अनुमति या चका एस.एल.पी. (सी) सं. 21085-86/2015 (बाद में 2016 की स वल अपील सं. 6108-6109 में

परिवर्तित) प्रस्तुत कया । इस न्यायालय ने दिनांक 11.07.2016 के आदेश द्वारा, अपील को स्वीकार करते हुए, मामले को एन.सी.डी.आर.सी. को निम्न ल खत तरीके से पुनरीक्षण अ धकार क्षेत्र के तहत गुण-दोष पर वचार करने के लए प्रतिप्रे षत कया -

> हमने कुछ समय तक पक्षकारों के वद्वान अ धवक्तागण को सुना । दो पक्षों के वद्वान अ धवक्तागण ने हमारा ध्यान राष्ट्रीय आयोग की पूर्ण पीठ द्वारा 2012 की पुनरीक्षण या चका संख्या 1792 में पारित आदेश दिनांक 09 जनवरी, 2015 को पारित आदेश की ओर आक र्षत कया, जिसके तहत राष्ट्रीय आयोग ने यह वचार कया है क यद्य प राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश के वरुद्ध अपने अपीलीय क्षेत्रा धकार का प्रयोग करते हुए, कोई अपील सुनवाई योग्य नहीं है, हालां क जो कोई भी आदेश राज्य कमीशन द्वारा उसके अपील या पुनरीक्षण अ धकार का प्रयोग करते हुए दिया गया हो, उसे उपभोक्ता संरक्षण अ धनियम की धारा 21(ख) के तहत राष्ट्रीय आयोग के पूर्ण पीठ के निर्णय के प्रकाश में, राष्ट्रीय आयोग के सामने पुनरीक्षण के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है और इस उद्देश्य हेतु मामला राष्ट्रीय आयोग को प्रतिप्रे षत भी कया जा सकता है।
>
> हम तदनुसार इन अपीलों को केवल उस स्तर तक स्वीकार करते है क अपीलार्थी द्वारा दायर पुनरीक्षण या चका को खारिज करते हुए राष्ट्रीय आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 24 मार्च, 2015 अपास्त समझा जावेगा, 2015 की पुनरीक्षण या चका संख्या 614 को पुनर्स्था पत कया गया और उसे राष्ट्रीय आयोग के पूर्ण पीठ के निर्णय के प्रकाश में, कानून के अनुसार निपटान के लए राष्ट्रीय आयोग को प्रतिप्रे षत कया गया।
>
> (बल दिया गया)

13. प्रतिप्रेषण पर एन.सी.डी.आर.सी. ने हमारे समक्ष आक्षे पत आदेश दिनांक 20.10.2016 के द्वारा, प्रत्यर्थी की पुनरीक्षण को इस आधार पर स्वीकार कया है क अनुबंध के खंड 17 में स्पष्ट रूप से प्रावधान कया गया था क संपरिवर्तन की दर की गणना करने का नियम निम्न ल खत तरीके से होगा-

> 11. उपरोक्त को पढ़ने पर, यह स्पष्ट है क बीमा अनुबंध के अनुसार, वरोधी पक्ष बीमाकर्ता को चालान कए गए वदेशी मुद्रा की संपरिवर्तन दर पर, बैंक की खरीद ब्याज दर के अनुसार भारतीय रुपये में मुंबई में वषयवस्तु नौप्रेक्षण की तारीख,जिसके लए चालान जारी कया गया था, बीमा दावे का भुगतान करना आवश्यक था। नि र्ववादित रूप से नि र्णतऋणी द्वारा रा श रु. 11,23,906 /- का भुगतान कया, जिसकी गणना चालान मूल्य के नौप्रेक्षण के समय लागू संपरिवर्तन दर और उपभोक्ता फोरम द्वारा दिए गए ब्याज के आधार पर की गई थी । इस लए, यह नहीं कहा जा सकता है क डक्री के अधीन वरोधी पक्ष से कोई और रा श देय है। नीचे दिए गए दोनों फोरम ने बीमा अनुबंध की व्यक्त शर्त संख्या 17 की घोर अवहेलना करते हुए ववादित आदेश पारित कया है। इस प्रकार आदेश सारवान अनिय मतता से ग्रस्त है और इसे स्थिर नहीं रखा जा सकता है।

14. एन.सी.डी.आर.सी. के आदेश से व्य थत या चकाकर्ता इस न्यायालय के समक्ष एक वशेष अनुमति या चका द्वारा आया है।

15. दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित अ धवक्ता को सुना और अ भलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन कया।

16. इससे पहले क हम इस मामले के गुण-दोष पर ध्यान दें, हम एक डक्री के निष्पादन के कुछ पहलुओं को देखना चाहेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अ धनियम, 1986 की धारा 25 और 27, अवॉर्ड के निष्पादन का प्रावधान करते हैं । यह ध्यान देने योग्य होगा क 'निष्पादन' का अर्थ है-

> 'निष्पादन' शब्द अपने व्यापक अर्थ में न्यायालय के निर्णयों या आदेशों को लागू करने या उन्हें प्रभावी बनाने का प्रतीक है। एक संकीर्ण अर्थ में, इसका अर्थ है कसी लोक अ धकारी द्वारा फयरीफए कयाश के रिट, कब्ज़ा, परिदान, सीक्वेस्ट्रेशन, फयरीफए कयाश डी बोनिसेक्ले सएटि सस, आदि के तहत उन निर्णयों या आदेश का प्रवर्तन।

17. उपभोक्ता संरक्षण अ धनियम की संशो धत धारा 25, जो 15.3.2003 से प्रभावी है, ध्यान देने योग्य हो सकती है -

" 25. <u>जिला पीठ, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग क आदश का प्रवर्तन</u> –

(1) जहाँ इस अ धनियम के अधीन कए गए अंतरिम आदेश का अनुपालन नहीं कया जाता है, वहां, यथास्थिति, जिला फोरम या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग ऐसे आदेश का अनुपालन न करने वाले व्यक्ति की संप त्त कुर्क करने का आदेश कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन की गई कोई कुर्की तीन मास से अ धक के लए प्रवृत्त नहीं रहेगी जिसकी समाप्ति पर, यदि अननुपालन जारी रहता है तो कुर्क की गई संप त्त का वक्रय कया जा सकेगा और उसके आगम में से, जिला फोरम या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग ऐसी नुकसानी, जो वह ठीक समझे, शकायतकर्ता को प्रदान कर सकेगा और शेष बकाया, यदि कोई हो, उसके हकदार पक्षकार को संदाय करेगा ।

(3) <u>जहां कोई रकम, यथास्थिति, जिला फोरम, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा कए गए कसी आदेश के अधीन कसी व्यक्ति से शोध्य है, वहां उस रकम का हकदार व्यक्ति, यथास्थिति, जिला फोरम, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग</u> को आवेदन कर सकेगा और ऐसा जिला फोरम या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग उस जिले के कलेक्टर को (चाहे कसी भी नाम से पुकारा जाए) उक्त रकम के लए एक प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा और वह कलेक्टर भू-राजस्व की बकाया के रूप में उसी रीति से उस रकम को वसूल करने के लए कार्यवाही करेगा ।

(बल दिया गया)

18. निष्पादन कार्यवाही का पूरा उद्देश्य न्यायालय के फैसले को लागू करना है। निष्पादन न्यायालय डक्री को निष्पादित करते समय केवल उसके निष्पादन वाले भाग पर ध्यान देता है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। न्यायालय को फैसले को उसके प्रत्यक्ष मूल्य में लेना होता है। निष्पादन न्यायालय डक्री से परे नहीं जा सकती है। ले कन कठिनाई तब उत्पन्न होती है जब भौतिक पहलुओं के संबंध में डक्री में अस्पष्टता होती है। फर यह न्यायालय का बाध्यकारी कर्तव्य बन जाता है क वह डक्री को सही प्रभाव देने की प्र क्रया में डक्री की व्याख्या करे। उस समय, निष्पादन न्यायालय को अपनी व्याख्या देते समय बहुत सतर्क रहना होगा और इस तथ्य के प्रति सचेत रहना होगा क वह एक नई डक्री नहीं बना सकता है। निष्पादन न्यायालय डक्री को प्रभावी बनाने की प्र क्रया में इस अ धकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए दोनों के बीच एक अच्छा संतुलन बनाएगा।

19. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में इस तथ्य के बारे में कोई ववाद नहीं है क प्रत्यर्थी कंपनी का 11875.75 यूरो का 90 प्रतिशत मूल्य और 24.7.2002 से 12 प्रतिशत की दर से ब्याज का दायित्व अंतिम रूप ले चुका है। निष्पादन कार्यवाही में अपीलार्थी द्वारा दायर गणना ज्ञापन के अनुसार उसने कुल रा श 25,76, 883.00 रु. अर्थात मूलधन रा श रु. 7,61,105.00 की गणना 17.4.2013 को रु 71.21 रुपये प्रति यूरो के अनुसार कया, जो 11,875.75 यूरो का 90% मूल्य है। न्यायालय द्वारा 24.7.2002 से 24.4.2013 तक का अतिरिक्त ब्याज रु18,12,478.00 दिया गया।

20. . स्वीकार्य रूप से, निष्पादन कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, दिनांक 24.4.2002 को रा श 11,875.75 यूरो के 90% मूल्य के रूप में रा श 4,86,953 रु., और उस पर ब्याज रा श 6,33,653 रुपये न्यायालय द्वारा निर्दे शत अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा भुगतान कया गया । राज्य आयोग और जिला आयोग, दोनों ने आदेश दिनांक 12.10.2006 की व्याख्या करते हुए उल्लेख कया क यूरो संपरिवर्तन दर की गणना भुगतान की तारीख पर होनी चाहिए और इस लए प्रत्यर्थी कंपनी को बाकी रकम चुकानी होगी। हालाँ क एन.सी.डी.आर.सी ने अनुबंध के खंड 17 की व्याख्या करते समय एक अलग दृष्टिकोण लेते हुए निष्कर्ष निकाला क संपरिवर्तन दर वषय वस्तु नौप्रेक्षण की तारीख पर चालान की गई वदेशी मुद्रा के अनुसार होनी चाहिए और चूं क उसी गणना के अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा पूरी रा श का भुगतान कया गया है, एन.सी.डी.आर.सी ने पुनरीक्षण या चका खारिज कर दी है।

21. उपरोक्त फोरम के निष्कर्षों के आलोक में, दिए गए तर्कों के प्रकाश में, हमें परीक्षण करना होगा क क्या अपनाई गई व्याख्या, डक्री को सही प्रभाव देने की प्र क्रया में है या वे एक नई डक्री बनाकर डक्री से परे निकल गए हैं। हम यह देखने के लए मजबूर हैं क वर्ष 2006 में पारित एक आदेश अभी भी मुकदमेबाजी के अधीन है क्यों क मुद्रा के परिवर्तन दर की गणना की तारीख को स्पष्ट करने के लए फोरम द्वारा न्यूनतम ध्यान नहीं दिया गया।

22. कसी सं वदात्मक मामले में, जब वदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में परिवर्तन की गणना ति थ के संबंध में आदेश मौन रहता है, तब निष्पादन न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली क्या होगी, यह अब ववादित नहीं है, क्यों क इस न्यायालय के पास *फोरासोल वरुद्ध ओ.एन.जी.सी.*, 1984 (पूरक) एस.सी.सी. 263, के मामले में वस्तार से वमर्श करने का अवसर मला, उस मामले के

तथ्य जैसलमेर क्षेत्र में तेल की खोज के संबंध में संरचनात्मक खुदाई करने के लए ओ.एन.जी.सी. और फोरासोल के बीच कए गए एक अनुबंध के आस-पास घूमता है। अनुबंध में वदेशी मुद्रा यानी फ्रेंच फ़्रैंक में आं शक भुगतान अनिवार्य था। 1965 में भारत और पा कस्तान के बीच युद्ध की स्थिति के कारण अनुबंध को नलंबित कर दिया गया था। इस बीच भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन कया गया जिसके परिणामस्वरूप फोरासोल ने उच्च संपरिवर्तन दर का दावा कया। चूं क ववाद का निपटारा नहीं हुआ था, इस लए मामले को माध्यस्थम के लए भेजा गया था। वर्तमान में, यह ध्यान रखना पर्याप्त है क माध्यस्थ/अंपायर के निर्णय द्वारा, एफ.एफ. 1000 के मौद्रिक परिवर्तन का होना चाहिए, जिसका मूल्य 1517.80 है, बजाय एफ.एफ. 1.033 के मौद्रिक परिवर्तन दर पर जिसका मूल्य आर ई.1.000 के बराबर है। उपरोक्त अवॉर्ड दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर कया गया था, जिसने तदनुसार फॉर्म के बारे में पक्षों की कसी भी आप त्त के बिना 07.05.1975 पर डक्री पारित की।

23. इसके बाद, फोरसोल ने अवॉर्ड के निष्पादन के लए आवेदन दायर कया जो 1976 की निष्पादन संख्या 77 है । ओ.एन.जी.सी. ने उपरोक्त निष्पादन पर यह तर्क देते हुए आप त्त जताई क अवॉर्ड में निर्दिष्ट दर उस पर दिए गए ब्याज तक सी मत होनी चाहिए और यह मुख्य सं वदात्मक रा श को प्रभा वत नहीं करता है। वद्वान एकल न्यायाधीश ने ओ.एन.जी.सी. के सभी आधारों को नकार दिया। डवीजन पीठ के समक्ष अपील पर, उच्च न्यायालय ने ओ.एन.जी.सी. के तर्क को स्वीकार कर लया और इस लए फोरासोल ने इस न्यायालय के समक्ष अपील की। न्यायालय के समक्ष प्रश्न संपरिवर्तन की दर के लए सबसे अच्छी तारीख चुनने से संबं धत था, जिसे निम्नानुसार व्यक्त कया गया था-

> 23. फोरासोल की अपील में जिस प्रश्न पर अब वचार होना बाकी है, वह है न्यायालय द्वारा चयन की जाने वाली तारीख, जिसमे अवॉर्ड का हिस्सा रहे फ्रेंच फ़्रैंक को भारतीय रुपयों में परिवर्तित करना है, जिसके संबंध में उक्त अनुबंध या उक्त अवॉर्ड द्वारा वनिमय की कोई दर निर्धारित नहीं की गई ।
>
> (बल दिया गया)

24. इस न्यायालय ने इस सद्धांत को मान्यता दी क मुद्रा के संपरिवर्तन के लए प्रासं गक ति थ सबसे पहले सं वदात्मक प्रावधान के अनुसार होगी और उसके बाद, यदि ऐसा स्पष्ट निर्धारण उपलब्ध नहीं है, तो न्यायालय को सर्वोत्तम संभव ति थ निर्धारित करनी होगी।

25. इसके अलावा इस न्यायालय ने न्यायालय के प्रासं गक ति थयों का चयन करने के ववेका धकार को मान्यता दी और उनमें से कुछ को निम्न ल खत तरीके में इं गत कया -

> **24.** कसी वदेशी मुद्रा में देय रा श की वसूली की कार्रवाई में, पाँच ति थयाँ न्यायालय द्वारा चयन के लए प्रतिस्पर्धा करती हैं चूं क वनिमय की दर तय करने की उ चत ति थ जिस पर वदेशी मुद्रा रा श को उस देश की मुद्रा में परिवर्तित करना होगा, जिसमें कार्रवाई शुरू हुई और निर्णय कया गया। ये ति थयाँ इस प्रकार हैं :
>
> (1) तारीख जब रा श देय और भुगतान योग्य हो गई;

(2) कार्रवाई शुरू होने की तारीख;

(3) डक्री की तारीख;

(4) तारीख जब न्यायालय निष्पादन जारी करने का आदेश देता है; और

(5) वह ति थ जब अवमूल्यन रा श का भुगतान या प्राप्ति की जाती है।

25. ऐसे मामले में जहां न्यायालय द्वारा एक डक्री वदेशी मुद्रा में दिए गए अवॉर्ड की शर्तों पर पारित की गई है, वहाँ एक छठी तारीख भी प्रतियो गता में प्रवेश करती है, अर्थात्, अवॉर्ड की तारीख। हमारे सामने मामला ऐसा है जिसमें न्यायालय द्वारा इस तरह के अवॉर्ड के संदर्भ में एक डक्री पारित की गई है।

(बल दिया गया)

26. अंततः व्यापक वश्लेषण के बाद यह न्यायालय निम्न ल खत तरीके से एक निष्कर्ष पर पहुंचा-

70. यह सु वधाजनक होगा यदि हम अब रीति निर्धारित करें, जो हमारे अनुसार उन मुकदमों में पालन कया जाना चाहिए, जिनमें वदेशी मुद्रा में व्यक्त धन का वैध रूप से वादी द्वारा दावा और न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया जा सकता है। उन मामलों को वर्गीकृत करना हमारे लए अनावश्यक है, जिनमें ऐसा दावा कया जा सकता है और आदेश दिया जा सकता है। उन्हें ऊपर हमारे द्वारा निर्दिष्ट अंग्रेजी निर्णयों में पर्याप्त रूप से इं गत कया गया है। हालां क, ऐसे मामले क्षीण नहीं हो सकते हैं, क्यों क कानून स्थिर नहीं रह सकता, उसका निरंतर वकास होना चाहिए और प्रगति होनी चाहिए, जिस तरह, जिस समाज पर यह लागू है उसका रंग-रूप, पुरानी वचारधाराओं और अवधारणाओं को हटाके, उनकी जगह नए प्रतिस्था पत कए गए हैं। यह कहने के लए पर्याप्त है क मामला जिनसे हम चंतित हैं, वह इस श्रेणी में आता है। ऐसे मुकदमे में, वादी, जिसे वदेशी मुद्रा में देय रा श प्राप्त नहीं हुई है, और इस लए वह रा श की वसूली के लए न्यायालय की सहायता तलाश करने की इच्छा रखता है, तो उसके समक्ष दो रास्ते उपलब्ध है। वह या तो भारतीय रा श में अथवा वदेशी मुद्रा में जिसमें यह देय थी ।यदि वह पहला वकल्प चुनता है, तो वह केवल उस रा श के लए मुकदमा कर सकता है जो भारतीय रुपये में परिवर्तित है और शकायत में उसकी प्रार्थना केवल भारतीय मुद्रा में रा श के लए हो सकती है । इस उद्देश्य के लए, वादी को उसे देय वदेशी मुद्रा रा श को भारतीय रुपये में परिवर्तित करना होगा । वह या तो वनिमय की दर से ऐसा कर सकता है, जो उस तारीख को प्रच लत थी जब रा श उसे देय हो गई, क्यों क वह उस तारीख को उक्त रा श प्राप्त करने का अ धकारी हो गया या, उसके वकल्प के अनुसार, मुकदमा दा खल करने की ति थ पर प्रच लत मौद्रिक वनिमय दर पर, क्यों क यह वह ति थ है जिस पर उसे देय रा श को पुनःप्राप्त करने के लए न्यायालय की सहायता की आवश्यकता है। कसी भी स्थिती में, न्यायालय शुल्क और न्यायालय के क्षेत्रा धकार की आ र्थक सीमा के प्रयोजनों के लए मुकदमे का मूल्यांकन, मामले में दावा की गई रा श भारतीय मुद्रा में होगी। हालाँ क, वादी उसे उपलब्ध दूसरा रास्ता चुन सकता है और उसे देय

रा श को वदेशी मुद्रा में दावा कर सकता है। इस प्रकार के मुकदमे में, वादी के लए उ चत प्रार्थना यह होगी क न्यायाधीश उसे दावा की गई रा श को वदेशी मुद्रा में भुगतान करने के लए आदे शत करे, जो वदेशी मुद्रा वनियमन अ धनियम, 1973 के तहत संबं धत प्रा धकारियों की अनुमति के अधीन होगा, और यदि वदेशी मुद्रा अ धकारियों ने अनुमति प्रदान नहीं की हो या प्रत्यर्थी वदेशी मुद्रा में भुगतान करना नहीं चाहता है, चाहे ऐसी अनुमति पहले ही प्रदान की गई हो अथवा नहीं, प्रतिवादी द्वारा वादी को निर्णय दिनांक पर प्रच लत वनिमय दर से मांग की गई वदेशी मुद्रा के बराबर रुपए का भुगतान करेगा। न्यायालय शुल्क और क्षेत्रा धकार के उद्देश्यों के लए, वादी को हालां क, मुकदमे में उसकी दावा की गई वदेशी मुद्रा रा श को भारतीय रुपयों में मुकदमे की दा खल करने की तारीख या उससे सबसे करीबी तारीख पर या उस से पहले ही होने वाली तारिख पर लागू मौद्रिक वनिमय दर पर परिवर्तित करके मांग करना चाहिए, और उसके वादपत्र में यह बताएं क वह वनिमय दर क्या है। उसे वादपत्र में यह भी वचन देना चाहिए क यदि यदि निर्णय की ति थ पर, तब प्रच लत वनिमय दर पर, न्यायालय शुल्क और क्षेत्रा धकार के उद्देश्यों के लए वादपत्र में निर्दिष्ट रा श से अ धक रा श से अ धक वदेशी मुद्रा रा श के समतुल्य रुपए डक्री हो जाने की दशा में यदि न्याय शुल्क में कोई कमी हो, तो वह उसे पूरा करेगा। ऐसे मुकदमे की सुनवाई में, डक्री पारित करने से पहले, न्यायाधीश को वादी से यह प्रमा णत करने के लए कहना चाहिए क आदेश की तारीख पर या आदेश के पहले या सबसे करीबी तारिख को प्रच लत वनिमय दर क्या है । यदि आवश्यक हो, शेष सभी मुद्दों पर निर्णय करने के बाद, न्यायालय शेष निर्णय और डक्री के पारित होने पर रोक लगा सकती है और मामले को स्थ गत करे जिससे वादी वनिमय के ऐसी दर को साबित करने में सक्षम बने। न्यायालय द्वारा पारित की जाने वाली डक्री ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रतिवादी को आदेश हो क वादी को न्यायालय द्वारा निर्धारित वदेशी मुद्रा रा श को भुगतान करे, जो क वदेशी मुद्रा वनियमन अ धनियम, 1973, के तहत संबं धत प्रा धकारियों की अनुमति के अधीन है, और यदि वदेशी मुद्रा अ धकारियों द्वारा आवश्यक अनुमति प्रदान नहीं की गई हो या अनुमति प्रदान करने के बावजूद प्रतिवादी वदेशी मुद्रा में भुगतान करना नहीं चाहता है, अथवा प्रतिवादी वदेशी मुद्रा में या भारतीय रुपयों में भुगतान नहीं कर रहा है, चाहे ऐसी अनुमति प्रदान की गई हो या न हो, तब उपरोक्तानुसार न्यायालय के समक्ष प्रमा णत अनुसार वनिमय दर से वदेशी मुद्रा को भारतीय रा श में परिवर्तित कर समतुल्य रा श प्रदान करे। डक्री को अपील या अन्य प्र क्रया में चुनौती दिए जाने की स्थिति में और ऐसी अपील या अन्य प्र क्रया का निर्णय पूर्ण या आं शक रूप से वादी के पक्ष में होने की दशा में अपील न्यायालय या अन्य प्र क्रया में आवेदन सुनने वाली न्यायालय को उसी प्र क्रया का पालन करना चाहिए जो अपीली डक्री की तारीख़ पर या उक्त आवेदन पर उसके आदेश की तारीख अथवा ऐसी डक्री या आदेश की तारीख़ के निकटतम तारीख़ पर वनिमय दर का पता करने के लए वचारण न्यायालय ने अपनाया । यदि ऐसी वनिमय दर डक्री में चुनौती दी गई दर से भन्न है, तो न्यायालय को उसके

अपीलीय डक्री या अंतिम आदेश में वनिमय दर के संबंध में आवश्यक संशोधन करना चाहिए। इस प्रकार के सभी मामलों में, निष्पादन केवल डक्री, अपीलीय डक्री या अंतिम आदेश में उल्लि खत समतुल्य रुपये के लए ही जारी कया जा सकता है, जैसा क मामला हो। ये प्रश्न, हालां क, उत्पन्न नहीं होंगे यदि अपील के लंबित रहने अथवा प्रतिवादी द्वारा अपनाई गई अन्य कार्यवाही में डक्री का क्रयान्वयन हो गया हो या वादी द्वारा उसके अधीन धन प्राप्त कया गया हो ।

27. इस न्यायालय द्वारा मुद्रा के संपरिवर्तन के लए प्रासं गक ति थ को निर्धारित करने के लए निर्धारित व ध के प्रकाश में, न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली पहली प्र क्रया यह होनी चाहिए क अनुबंध की शर्तों के अनुसार ही निर्णय लया जाए, यदि ऐसा कोई खंड अनुबंध में उपलब्ध नहीं है, तब अदालतों को सर्वोत्तम संभा वत तारीख निर्धारित करनी होती है, तब यह न्यायालय आगे बढ़कर अपनाई जाने वाली प्र क्रया को देखता है । ले कन वर्तमान तथ्यों में यह अभ्यास प्रासं गक नहीं है क्यों क अनुबंध में एक व शष्ट खंड 17 है, जो ब्याज की दर से संबं धत है । उक्त खंड स्पष्ट रूप से कहता है क मुंबई में वषयवस्तु नौप्रेक्षण की तारीख पर बैंक की खरीद ब्याज दर के अनुसार वदेशी मुद्रा को रुपये में परिवर्तित कया जाना चाहिए। प्रासं गक आदेश दिनांक 12.10.2006 को सूक्ष्मता से देखें, तो यह भी पता चलता है क जिला फोरम ने 24.7.2002 से रा श पर ब्याज स्वीकृत कया है यह समझा जा सकता है क जिला फोरम ने हालां क अनुबंध के खंड 17 के बारे में उल्लेख नहीं कया है, ले कन उसी खंड को ध्यान में रखते हुए उस दिन से ब्याज दिया है। आदेश दि. 12.10.2006 पर जिला फोरम के साथ-साथ राज्य आयोग द्वारा दी गई व्याख्या अनुबंध की शर्तों के वपरीत है और नई डक्री को तैयार करने जैसा है, जो अनुज्ञात नहीं है।

28. हम अपीलार्थी के वद्वान अ धवक्ता की इन दलीलों से सहमत होने में असमर्थ हैं क एन.सी.डी.आर.सी. डक्री से परे निकल गया है और एन.सी.डी.आर.सी. को खंड 17 में नहीं जाना चाहिए था, यह सारहीन होने से खारिज कर दिया गया है। इस प्रकृति के मामले में न्यायालय के लए उपलब्ध एकमात्र उपाय या तो अनुबंध की शर्तों को देखना है या इसके अभाव में उपरोक्त निर्णय में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित प्र क्रया का पालन करना है। एन.सी.डी.आर.सी. द्वारा पारित आदेश पूर्ण रूप से तय कानूनी स्थिति के अनुरूप है और हमें आदेश में कोई दुर्बलता नहीं दिखती है।

29. निष्कर्ष के तौर पर निर्णय को समग्र रूप से पढ़ने पर, अपीलार्थी द्वारा सुझाए गए दृष्टिकोण को अपनाए बिना, डक्री की व्याख्या इस तरह से करना जो एक नई डक्री क जगह प्रतिस्थापन हो सकता है, यह व ध के अधीन स्वीकार नहीं कया जाता है । इस लए, यह स्पष्ट है क बीमा अनुबंध के अनुसार, प्रत्यर्थी बीमाकर्ता को चालान कए गए वदेशी मुद्रा की संपरिवर्तन दर पर, बैंक की खरीद ब्याज दर के अनुसार भारतीय रुपये में मुंबई में वषयवस्तु नौप्रेक्षण की तारीख, जिसके लए चालान जारी कया गया था, बीमा दावे का भुगतान करना आवश्यक था। प्रत्यर्थी ने या चकाकर्ता को निष्पादन कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान रा श रु. 11,23,906 ⁄- का भुगतान कया है। उपरोक्त भुगतान की गणना चालान मूल्य के नौप्रेक्षण के समय लागू संपरिवर्तन दर और उपभोक्ता

फोरम द्वारा दिए गए ब्याज के आधार पर की गई थी । उसी को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी ने पूर्ण और अंतिम रा श का भुगतान करके फोरम के आदेश का पालन कया है।

30. इस लए, हमें एन.सी.डी.आर.सी. के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मलता है जो कानून के ठोस सद्धांतों पर आधारित है। तदनुसार, यह अपील खारिज कर दी जाती है।

अ मत संह ससोदिया अपील खारिज